107

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1012–तीन/2011 अपील – विरूद्ध आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 2011 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 1055/2006–07 अपील

1– मोतीलाल पुत्र रामसुन्दर
2– रमेश पुत्र मोतीलाल
3– दिनेश पुत्र मोतीलाल
सभी ग्राम कलवारी तहसील
त्योंथर जिला रीवा मध्यप्रदेश ———अपीलांटस्

विरूद्ध

1– श्रीमती धरमनिया पुत्री रामसुन्दर
2– राजभान पुत्र बैजनाथ पटैल
निवासीगण ग्राम कलवारी
तहसील त्योंथर जिला रीवा ———रिस्पाण्डेन्टस
3– म0प्र0शासन

;अपीलांट्स के अभिभाषक श्री सत्येन्द्र सिंह)
;रिस्पाण्डेन्ट 1,2 के अभिभाषक श्री रामनरेश मिश्रा)

आ दे श
(आज दिनांक 09–3 –2018 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1055/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–4–2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पा0क्रमांक 1 व॰ 2 ने अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्र0क0 297 अ–3/2000–2001 में पारित आदेश दिनांक 28–8–2001 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर से अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 185 अ–3/2001–02 पॅजीबद्ध किया

तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 12-1-2007 पारित किया एंव पूर्वादेश दिनांक 28-8-2001 को सॅशोधित करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों के नक्शा तरमीम की कार्यवाही रजिस्ट्री में अंकित चौहद्दी, कब्जा एंव मौके की स्थिति अनुसार किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क्र0 1055/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-4-2011 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों के क्रम में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर रीवा ने प्र0क्र0 185 अ-3/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 12-1-2007 से उनके व्दारा पूर्व के प्र0क्र0 297/अ-3/2000-01 में पारित आदेश दि. 28-9-01 को सॅशोधित किया है। अपर कलेक्टर रीवा के प्र0क्र0 297/अ-3/2000-01 में पारित आदेश दि. 28-9-2001 का पद एक इस प्रकार है :-

" निगरानीकर्ता पक्ष व्दारा प्रश्नगत निगरानी राजस्व संहिता 1959 (जिसे अत्र पश्चात् संहिता से सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 50 के तहत राजस्व निरीक्षक हलका पटवारी हलवारी तहसील त्योंथर के नक्शा तरमीम की कार्यवाही से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है। "

स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी नक्शा तरमीम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। विचार योग्य है कि क्या नक्शा तरमीम करने की शक्तियां राजस्व निरीक्षक अथवा हलका पटवारी को प्राप्त है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 में नक्शा तरमीम करने प्रक्रिया इस प्रकार है :-

" धारा-70-सर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नक्रमांकित या उप विभाजित करने की शक्ति -
(अ) बंदोवस्त अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त - बंदोवस्त अवधि के भीतर इस धारा के अधीन बंदोवस्त अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर कर सकेंगे। कलेक्टर की ये शक्तियां तहसीलदार को प्रदत्त की गई है।

अर्थात राजस्व निरीक्षक को नक्शा तरमीम करने की शक्तियां संहिता की किसी भी धारा में प्रदत्त नहीं की गई है। यदि राजस्व निरीक्षक व्दारा अधिकारिता न

होते हुये भी तहसीलदार की शक्तियों के अधीन नक्शा तरमीम आदेश पारित किया है, तब संहिता की धारा 70 के अंतर्गत पारित आदेश निगरानी योग्य न होकर अपील योग्य आदेश है और धारा 70 के अंतर्गत पारित नक्शा तरमीम आदेश की अपील उपखंड अधिकारी के समक्ष होगी। नक्शा तरमीम आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर रीवा को निगरानी क्रमांक 297 अ-3/2000-01 सुनने की अधिकारिता नहीं है जिसके कारण अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 297 अ-3/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 28-8-2001 एंव पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 185 अ-3/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 12-1-2007 विधि एंव प्रक्रिया के विपरीत होने से शून्यवत् है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 1055/2006-07 अपील में आदेश दिनांक 11-4-2011 पारित करते समय इस पर गौर न करने में भूल की है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक व्दारा नक्शा तरमीम वावत् पारित आदेश, अपर कलेक्टर रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 28-8-2001 एंव 12-1-2007 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 11-4-2011 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 1055/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-4-2011, अपर कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 297 अ-3/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 28-8-2001 एंव पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 185 अ-3/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 12-1-2007 तथा राजस्व निरीक्षक व्दारा पारित नक्शा तरमीम आदेश त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है। जहॉ तक वाद विचारित भूमि के नक्शा तरमीम न हो पाने का प्रश्न है सम्बन्धित पक्षकार अधिकारिता प्राप्त क्षेत्रीय तहसीलदार को तदाशय का आवेदन प्रस्तुत कर उसके स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि का नक्शा तरमीम कराने हेतु स्वतंत्र है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर